

संपादकीय

जंतर-मंतर पर सीजेपी का धरना कितना सार्थक?

देश में जब भी किसी बड़ी परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा होता है, तब उसका असर केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र, सरकार और समाज पर पड़ता है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) भी पिछले कुछ वर्षों से लगातार विवादों के केंद्र में रही है। प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल, परिणामों को लेकर विवाद और पारदर्शिता की मांग ने लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को चिंतित किया है। इसी पृष्ठभूमि में जंतर-मंतर पर सीजेपी द्वारा नीट छात्रों के समर्थन में दिया गया धरना चर्चा का विषय बना। सवाल यह है कि क्या इस तरह का धरना वास्तव में छात्रों के हित में सार्थक साबित होता है या यह केवल राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने का माध्यम बनकर रह जाता है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार – भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है। जंतर-मंतर लंबे समय से देश में जन आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा है। जब लाखों छात्र किसी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी बात पर्याप्त रूप से नहीं सुनी जा रही, तब शांतिपूर्ण धरना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा माना जा सकता है। यदि धरने का उद्देश्य छात्रों की वास्तविक समस्याओं को सरकार और संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाना हो, तो इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की सकारात्मक अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। छात्रों की आवाज को मिला मंच- धरने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वह बिखरी हुई आवाजों को एक मंच देता है। देश के अलग-अलग राज्यों में रहने वाले छात्र अपनी समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पर नहीं उठा पाते, लेकिन किसी सामूहिक आंदोलन के माध्यम से उनकी मांग राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाती है। नीट जैसी परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्र वर्गों को तैयारी करते हैं। ऐसे में यदि परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, तो उनका मानसिक तनाव और भविष्य की चिंता स्वाभाविक है। धरने के माध्यम से यही संदेश दिया जाता है कि छात्रों की मेहनत और भविष्य सर्वोपरि हैं। सरकार और संस्थाओं पर बढ़ता है दबाव- लोकतांत्रिक आंदोलनों का एक उद्देश्य जवाबदेही तय करना भी होता है। जब किसी परीक्षा को लेकर व्यापक विरोध होता है, तो संबंधित एजेंसियों और सरकार पर जांच कराने, सुधार लाने और पारदर्शिता बढ़ाने का दबाव बनता है। यदि धरने के कारण परीक्षा प्रणाली में सुधार, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, पेपर लीक रोकने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसे कदम उठाए जाते हैं, तो आंदोलन को सार्थक कहा जा सकता है। केवल विरोध नहीं, समाधान भी जरूरी- किसी भी आंदोलन की सफलता केवल भीड़ जुटाने से तय नहीं होती। यदि धरने के दौरान परीक्षा सुधार, तकनीकी सुरक्षा, पारदर्शी जांच, समयबद्ध कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम जैसे ठोस सुझाव दिए जाएं, तो उसका प्रभाव कहीं अधिक सकारात्मक होता है। सिर्फ परीक्षा रद्द करने या विरोध दर्ज कराने से आगे बढ़कर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देना आवश्यक है। राजनीतिक हस्तक्षेप पर उठते हैं सवाल- ऐसे आंदोलनों में अक्सर विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन भी शामिल हो जाते हैं। इससे आंदोलन को व्यापक समर्थन तो मिलता है, लेकिन कई बार आरोप लगते हैं कि छात्रों के मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। यदि किसी भी संगठन का उद्देश्य वास्तव में छात्रों के हितों की रक्षा करना है, तो आंदोलन को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर रखते हुए केवल शिक्षा सुधार और छात्रों के अधिकारों पर केंद्रित रहना चाहिए। छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव- नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र पहले से ही अत्यधिक दबाव में रहते हैं। परीक्षा विवाद और लगातार चल रहे आंदोलनों का असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए किसी भी आंदोलन को इस प्रकार संचालित किया जाना चाहिए कि छात्रों में अनिश्चितता और भय बढ़ने के बजाय उन्हें भरोसा मिले कि उनकी समस्याओं का समाधान खोजा जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता- नीट विवाद ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि केवल परीक्षा आयोजित करना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक, मजबूत साइबर सुरक्षा, प्रश्नपत्र की गोपनीयता, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और निष्पक्ष जांच व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाए। यदि आंदोलन इन सुधारों की दिशा में सरकार और संबंधित संस्थाओं को ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, तो उसका दीर्घकालिक प्रभाव सकारात्मक हो सकता है। नीट छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पर सीजेपी का धरना लोकतांत्रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है, बशर्ते उसका उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा, परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करना हो। किसी भी आंदोलन की वास्तविक सफलता इस बात से तय होती है कि उसके परिणामस्वरूप क्या ठोस बदलाव हुए, क्या छात्रों का विश्वास बहाल हुआ और क्या भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। अंततः यह याद रखना होगा कि नीट केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों और भविष्य से जुड़ा विषय है। इसलिए सरकार, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों, न्यायपालिका, सामाजिक संगठनों और छात्रों—सभी की साझा जिम्मेदारी है कि परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जाए। तभी किसी भी धरने या आंदोलन की सार्थकता वास्तविक अर्थों में सिद्ध होगी।

राजीव शुक्ला -(संपादक)



मेघ –इस सप्ताह मेघ राशि के जातकों को शुरुआत में धन का लाभ मिल सकता है। कामकाज को लेकर स्थिति अच्छी बनी रहेगी। हफ्ते के दूसरे भाग में कामकाज से संबंधित यात्रा का योग बन सकता है। धन खर्च का योग भी रहेगा।

वृषभ : इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को नौकरी से संबंधित अच्छे लाभ मिल सकते हैं। धन लाभ को लेकर इस हफ्ते आपके लिए स्थितियां अच्छी बनी रहेंगी। इस हफ्ते आप मित्रों के साथ आनंददायक समय व्यतीत कर सकते हैं। छात्र वर्ग के लिए यह हफ्ता लाभ देने वाला बना रहेगा।

मिथुन: इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को नौकरी के क्षेत्र में अच्छे फल मिलने की संभावना रहेगी। इस राशि से संबंधित जो जातक नौकरी की तलाश में हैं उनको सफलता मिल सकती है तथा चल रही जाँव में प्रमोशन मिल सकता है।

कर्क : इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को शुरुआत में कुछ समस्या हो सकती है, किन्तु हफ्ते के बाकी दिनों में आपको सफलता मिलेगी। इस हफ्ते भाग्य का सहयोग आपके अधूरे कार्य पूर्ण कर सकता है। कुछ जातकों की नौकरी की तलाश इस हफ्ते खत्म हो सकती है।

सिंह : इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों की शुरुआत अच्छी होगी। हफ्ते के प्रथम में आपको सेहत संबंधी कोई समस्या परेशान कर सकती है। कार्यक्षेत्र में इस हफ्ते किसी तरह का बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते कामकाज को लेकर आपका आत्मविश्वास अच्छा बना रहेगा।

कन्या: इस सप्ताह कन्या राशि के

जातकों को कोई पुराना धन मिल सकता है। इस हफ्ते आपको माता-पिता को लेकर कोई चिंता बनी रह सकती है। कामकाज के लिहाज से हफ्ता आपको अच्छे फल दे सकता है। पारिवारिक जीवन में आनंद बना रहेगा तथा पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको मिलेगा।

तुला : इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को अच्छा धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में इस हफ्ते आपके लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी। इस हफ्ते लाभ को लेकर चल रहे प्रयासों में आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। हफ्ते के मध्य में पारिवारिक

वृश्चिक: इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी किसी परेशानी में राहत मिल सकती है। धन लाभ के लिहाज से हफ्ता आपके पक्ष में बना रहेगा। इस हफ्ते आपकी आय के स्रोत में वृद्धि के योग बनेंगे। आपका पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

धनु : यह सप्ताह धनु राशि के जातकों की शुरुआत अच्छी होगी। इस हफ्ते आप अपनी माता को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में इस हफ्ते सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बना कर चलना आपको सफलता दे सकता है।

मकर : इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को धन का लाभ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। इस हफ्ते कामकाज को लेकर आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। अपने पराक्रम के बल पर कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे।

कुंभ : इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को कुछ अच्छे कार्य प्राप्त हो सकते हैं। इस हफ्ते आपकी दिनचर्या में कुछ बदलाव हो सकते हैं। कामकाज को लेकर स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

मीन : इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को शुरुआत में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में इस हफ्ते आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। इस हफ्ते आपको अच्छे लाभ मिलने की संभावना बनेगी। प्रेम तथा जीवनसाथी के साथ आपका संतान भाव बढ़ेगा। इस हफ्ते आपको व्सकती है। आय में वृद्धि के योग रहेंगे।

केन की धारा में बहता एक सवाल - क्या इंसान भी विकास का हिस्सा है?

विकास तभी सार्थक है, जब उसकी कीमत किसी की पहचान, आजीविका और अस्तित्व न बने। आज भारत इसी प्रश्न के सामने खड़ा है। एक ओर देश की पहली नदी जोड़ी योजना के रूप में केन-बेतवा परियोजना है, जिसे जल, सिंचाई और ऊर्जा का समाधान बताया जा रहा है। दूसरी ओर पन्ना और छतरपुर के जंगलों में आदिवासी महिलाएँ चिता पर लेटक, शरीर पर मिट्टी मलकर केवल दो वाक्यों में अपना दर्द कह रही हैं— ‘जंगल हमारा, नदी हमारी’ और ‘न्याय दो या मार दो।’ यह केवल विरोध नहीं, लोकतंत्र पर टूटते भरोसे की तस्वीर है। अब सवाल बाँध बनने का नहीं, बल्कि यह है कि विकास की परिभाषा आखिर किसके लिए, क्यों दो या मार दो। केन-बेतवा परियोजना का प्रमुख हिस्सा दौधन बाँध है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर प्रस्तावित है। इससे लगभग 9 हजार हेक्टेयर भूमि, जिसमें कोर क्षेत्र का करीब 41.41 वर्ग किलोमीटर और बम्पर क्षेत्र शामिल हैं, डूबेगी। करीब 23 लाख पेड़ प्रभावित होने और केन नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदलकर जल बेतवा में भेजने की आशंका है। सरकार के अनुसार इससे 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट बिजली मिलेगी। लेकिन गोंड और कोल आदिवासियों के लिए यह केवल विकास नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल है। उनके लिए जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, आजीविका और पहचान का आधार है। वादों और जमीनी हकीकत की दूरी ने चिता आंदोलन फिर सुलगा दिया।

प्रशासन के आश्वासन के बावजूद कई गाँवों में मकान तोड़े गए, बिजली कनेक्शन काटे गए, स्कूल ढहाए गए और विरोध करने वालों पर मुकदमे दर्ज हुए। दिव्या अहिरवार, लक्ष्मी आदिवासी सहित कई महिलाएँ विरोध में डटी रहीं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता अभित भटनागर अनशन पर बैठे। उनका दावा है कि 7,000 से अधिक परिवार (लगभग 35-50 हजार लोग) विस्थापन की कगार पर हैं। उनके अनुसार संकट केवल घरों का नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का है। सवाल है—यदि विकास की कीमत आदिवासी समाज चुकाए और लाभ दूसरों को मिले, तो क्या यह न्यायपूर्ण विकास कहलाएगा? इस संघर्ष का दायारा केवल विस्थापन नहीं, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र तक है। पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा डूबने की आशंका है, जिससे बाघों की पुनर्स्थापना, घड़ियाल संरक्षण और गिद्धों के प्राकृतिक घोंसले संकट में पड़ सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वृक्ष कटाई और पारिस्थितिकी परिवर्तन से क्षेत्रीय वर्षा में करीब 12 प्रतिशत कमी आ सकती है। केन नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदलने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने की आशंका है। आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिक भी इसके प्राकृतिक तंत्र पर प्रभाव की चेतावनी दे चुके हैं। इसलिए आदिवासियों का ‘जंगल हमारा, नदी हमारी’ कहना विकास विरोध नहीं, बल्कि प्रकृति और भविष्य की चिंता है। किसी भी विस्थापन को सबसे बड़ी कीमत आँकड़ें नहीं, इंसानी जिंदगियाँ चुकाती हैं। केन-दूरी ने चिता आंदोलन फिर सुलगा दिया।

करीब 23 लाख पेड़ प्रभावित होने और केन नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदलकर जल बेतवा में भेजने की आशंका है। सरकार के अनुसार इससे 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट बिजली मिलेगी। लेकिन गोंड और कोल आदिवासियों के लिए यह केवल विकास नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल है। उनके लिए जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, आजीविका और पहचान का आधार है। वादों और जमीनी हकीकत की दूरी ने चिता आंदोलन फिर सुलगा दिया। प्रशासन के आश्वासन के बावजूद कई गाँवों में मकान तोड़े गए, बिजली कनेक्शन काटे गए, स्कूल ढहाए गए और विरोध करने वालों पर मुकदमे दर्ज हुए। दिव्या अहिरवार, लक्ष्मी आदिवासी सहित कई महिलाएँ विरोध में डटी रहीं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता अभित भटनागर अनशन पर बैठे। उनका दावा है कि 7,000 से अधिक परिवार (लगभग 35-50 हजार लोग) विस्थापन की कगार पर हैं। उनके अनुसार संकट केवल घरों का नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का है।

है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 7 हजार से अधिक परिवार प्रभावित होंगे और 22 गाँव डूब क्षेत्र में समा जाएँगे। पुनर्वास को लेकर असंतोष है। किसी को साढ़े बारह लाख, तो किसी को केवल साढ़े सात लाख रुपये मुआवजा मिल रहा है। वयस्क सदस्यों को अलग परिवार का दर्जा देने की माँग अधूरी है। आदिवासी समाज नकद नहीं, ‘भूमि के बदले भूमि’ चाहता है, क्योंकि जंगल और खेत उसके जीवन का आधार हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। पर्याप्त सूचना बिना न्यायपूर्ण संतुलन हो। बड़ी परियोजनाओं के साथ छोटे, टिकाऊ विकल्प भी जरूरी हैं। विशेषज्ञ वर्षा जल संचयन, छोटे बाँध, जलग्रहण प्रबंधन और स्थानीय जल संरक्षण

बड़े समाधान जरूरी हैं। सिंचाई, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल है कि किसी परियोजना का मूल्य केवल लाभ से तय होगा या उसकी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत से भी। केन-बेतवा परियोजना ने फिर बहस छेड़ी है कि नदी जोड़ी योजनाएँ तभी सफल होंगी, जब वे स्थानीय परिस्थितियों, पारिस्थितिकी और समाज की जरूरतों के अनुरूप हों। केवल इंजीनियरिंग समाधान, प्रकृति और समुदाय की सहमति बिना, स्थायी नहीं हो सकते। विकास तभी सार्थक है, जब लाभ और कीमत का न्यायपूर्ण संतुलन हो। बड़ी परियोजनाओं के साथ छोटे, टिकाऊ विकल्प भी जरूरी हैं। विशेषज्ञ वर्षा जल संचयन, छोटे बाँध, जलग्रहण प्रबंधन और स्थानीय जल संरक्षण

को बेहतर समाधान मानते हैं। सवाल है कि मध्य प्रदेश अपने जंगलों, वन्य संपदा और जल संसाधनों की कीमत चुका रहा है, जबकि लाभ का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ने भी परियोजना की पर्यावरणीय और आर्थिक व्यवहार्यता पर गंभीर आपत्तियाँ दर्ज की थीं, लेकिन उन्हें महत्व नहीं मिला। यदि बड़े निर्णयों में वैज्ञानिक चेतावनियाँ, स्थानीय अनुभव और न्यायपूर्ण पुनर्वास उभेक्षित रहें, तो विकास का दावा संदेह के घेरे में आता है। लोकतंत्र का शक्ति केवल निर्णय में नहीं, असहमति सुनने में भी है। पन्ना और छतरपुर से उठता यह संघर्ष अनेक केवल कुछ गाँवों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि भारत का विकास प्रकृति और मानव के संतुलन के साथ होगा या जंगलों और संस्कृतियों की कीमत पर। आदिवासी महिलाओं का संघर्ष केवल मुआवजे का नहीं, बल्कि सम्मान, अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों का है। सरकार को पारदर्शी पुनर्वास, प्रभावी पर्यावरणीय समीक्षा और स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। पन्ना टाइगर रिजर्व के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप प्लान के तहत 47,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन विकास प्रस्तावित है। इतिहास बाँधों की ऊँचाई नहीं, बल्कि कमजोर वर्गों के साथ राष्ट्र के व्यवहार को याद रखता है। विकास तभी टिकाऊ होगा, जब वह प्रकृति और लोगों की सहमति से आगे बढ़े।

प्रो. आरके जैन ‘अरिजीव’

विशेषज्ञों का अध्ययन दूर करेगा इथेनॉल के भ्रम

इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को तेजी से बढ़ावा देने की सरकारी नीति हाल के हफ्तों में लोगों की कड़ी आलोचना का निशाना है, हालाँकि, यह नीति 2022 से लागू है। 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का मूल लक्ष्य 2030 तक हासिल करना था, लेकिन समयपूर्व 2025 कर दिया गया। इस नीति के फ़ायदों के बारे में कई दावे किए जा रहे हैं—ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की बचत से लेकर किसानों के कल्याण तक। फिर भी, वाहन मालिक इंजन खराब होने और माइलेज कम होने की शिकायत कर रहे हैं। अपने बचाव में, सरकार का कहना है कि यह नीति सबूतों पर आधारित है और डेटा समर्थित है, जिसमें अधिकांशतः पेट्रोलियम संगठनों के बेनामी और अप्रकाशित अध्ययनों का हवाला दिया गया है। वाहनों पर इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के असर के दावों को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र अथवा विशेषज्ञों द्वारा जांचा-परखा अध्ययन मौजूद नहीं है। अगर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल करने वाली कारों की फ़्यूएल एफ़िशिएंसी (ईंधन दक्षता) कम है—जैसा कि अब कार निर्माता भी मान रहे हैं—और इंजन खराब हो रहे हैं—जैसा कि वाहन मालिक शिकायत कर रहे हैं—तो इससे



आर्थिक लागत बढ़ेगी। इसके अलावा, कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इथेनॉल मिश्रण से खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा, क्योंकि किसान खाद्य फ़सलों के बजाय च्य़ादा पानी खर्च करने वाली गन्ने की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इथेनॉल की बढ़ती मांग के मद्देनज़र निर्माता कंपनियां मक्का और चावल का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर कर रही हैं। सरकार को नीति के लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना जरूरी है और इसके फ़ायदों के बारे में ठोस सबूत पेश करने चाहिए, न कि आलोचकों पर गलत इरादे का आरोप मढ़ देना या इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर लोगों के गुस्से को नज़रअंदाज़ करना। लोग अक्सर ब्राज़ील का उदाहरण देते हैं, जहां 1980 के दशक में

इथेनॉल मिश्रण शुरू किया गया था। इसके दीर्घकालीन असर अब जाकर सामने आ रहे हैं। यह नीति 1970 के दशक में चीनी के फालतू उत्पादन का सीधा नतीजा थी और इसे चीनी लॉबी के दबाव में शुरू किया गया था। पिछले चार दशकों में, इसमें वहां ज़मीन के इस्तेमाल में भारी बदलाव किया है, नतीज़तन, ईंधन फ़सलों के लिए जगह बनाने के वास्ते अमेज़न के जंगलों की कटाई के कारण भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है। वैसे भी, बड़े पैमाने पर ऊर्जा फ़सलों की खेती के लिए भारत की जलवायु और मिट्टी की स्थिति ब्राज़ील जैसी नहीं है। किसी भी नई तकनीक की तरह, ग्रीन तकनीक की भी—चाहे वह इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ—व्यापक पैमाने पर लागू

करने पर अनचाहे बुरे असर हो सकते हैं। जैसे किसी नई वैक्सीन या दवा को लाने से पहले क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, वैसे ही सभी नई तकनीकों का अलग-अलग स्थितियों में कुछ समय तक फ़ील्ड-टेस्ट किया जाना चाहिए, और उससे मिले डेटा का विश्लेषण करवाने को स्वतंत्र विशेषज्ञों को दिया जाए। परिवहन अर्थव्यवस्था का एक अहम अंग है, और किसी भी नई तकनीक को लागू करने से पहले उसकी कई पहलुओं से जांच होनी चाहिए और सिर्फ़ वाहन निर्माता ही नहीं, बल्कि सभी हितधारकों के साथ उस पर चर्चा होनी चाहिए। यह काफी चौंकाने वाली बात है कि सरकार ने अपने बचाव में वाहन निर्माता कंपनियों को उन शिकायतों का जवाब देने के लिए बुलाया—जो वाहन का उपयोग करने वाले कह रहे हैं—जैसे कि माइलेज में कमी और गाड़ियों के धातु एवं रबर पुर्जों का खराब होना। दुनिया भर में वाहन निर्माता डेटा में हेरफेर करने के लिए कुख्यात हैं, जैसा कि 2015 में अमेरिका में फॉक्सवैगन एमिशन स्कैंडल में यह सामने आया था। कार बनाने वाली इस कंपनी ने अपनी कारों के डीज़ल इंजन को कुछ इस तरह प्रोग्राम किया था कि टेस्टिंग के दौरान उत्सर्जन सीमा नियंत्रण में दिखे ताकि नियामक मानकों पर खरा उतरता

दिखाई दे; नतीज़तन, 40 गुना ज़्यादा प्रदूषण पैदा करने वाली कारों को भी मामकों के भीतर पाया मानकर स्वीकृति दे दी गई। अगर ही पेट्रोलियम मंत्री के दावे के मुताबिक इथेनॉल नीति वाकई वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, तो सरकार को उन तमाम अध्ययनों के नतीजे सार्वजनिक करने चाहिए, जो ईंधन की क्षमता, अलग-अलग पुर्जों और इंजन पर मिश्रित ईंधन के दीर्घकालीन प्रभाव और अलग-अलग तरह की गाड़ियों पर अलग-अलग परिचालन स्थितियों में परीक्षण डेटा को जांचने के लिए किए गए हों। इसके अलावा, हमें इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में वैज्ञानिक सबूत चाहिए, जो कि इथेनॉल के संपूर्ण पर्यावरणीय एवं कार्बन फुटप्रिंट पर आधारित हो — यानी कच्चे ईंधन के उत्पादन से लेकर कारों में वास्तविक इस्तेमाल होने तक। फिर, हमें मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल करने पर लागत—लाभ विश्लेषण की जरूरत है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि माइलेज गिरेने की तिकाएँ हैं। अगर माइलेज 5 प्रतिशत भी कम हो जाती है और कार उपयोग करने वालों को ज़्यादा पेट्रोल खरीदना पड़ता जाए, तो आर्थिक फ़ायदों और विदेशी मुद्रा की बचत के दावे हवा हो जाते हैं।

विधिक बिरादरी के लिए ‘वेकअप कॉल’

कानून स्थिर नहीं है, यह जीवित है और समय के साथ बदलता रहता है। एक वकील के लिए उसकी डिग्री केवल एक प्रवेश द्वार है, लेकिन असली परीक्षा अदालत के फर्श पर हर दिन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ‘अजय विज बनाम इंडियन बैंक्स एसोसिएशन’ (2026) मामले में जो टिप्पणी की, वह महज एक न्यायिक आदेश नहीं है, बल्कि भारतीय विधिक बिरादरी के लिए एक अत्यंत गंभीर ‘वेकअप कॉल’ है। यह मामला केवल एक वकील का निजी विवाद नहीं, बल्कि भारतीय न्याय प्रणाली की एक गंभीर खामी को उजागर करने वाला एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। एक वकील को कानूनी राय को ‘लापरवाही’ मानकर उसे ‘कौशल निस्त्व’ में डालना, वकील की बदलती भूमिका और उसकी व्यावसायिक जवाबदेही पर बड़े प्रश्नचिह्न लगाता है। यह निर्णय बताता है कि वकील अब केवल अपने मुक्किल का पक्ष रखने वाला व्यक्ति नहीं रह गया है, बल्कि वह एक ‘विशेषज्ञ’ बन गया है, जिसकी एक छोटी-सी गलती भी पूरी न्याय व्यवस्था को साख बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। अपने पराक्रम के बल पर कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे।



कानून स्थिर नहीं है, यह जीवित है और समय के साथ बदलता रहता है। एक वकील के लिए उसकी डिग्री केवल एक प्रवेश द्वार है, लेकिन असली परीक्षा अदालत के फर्श पर हर दिन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ‘अजय विज बनाम इंडियन बैंक्स एसोसिएशन’ (2026) मामले में जो टिप्पणी की, वह महज एक न्यायिक आदेश नहीं है, बल्कि भारतीय विधिक बिरादरी के लिए एक अत्यंत गंभीर ‘वेकअप कॉल’ है। यह मामला केवल एक वकील का निजी विवाद नहीं, बल्कि भारतीय न्याय प्रणाली की एक गंभीर खामी को उजागर करने वाला एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। एक वकील को कानूनी राय को ‘लापरवाही’ मानकर उसे ‘कौशल निस्त्व’ में डालना, वकील की बदलती भूमिका और उसकी व्यावसायिक जवाबदेही पर बड़े प्रश्नचिह्न लगाता है। यह निर्णय बताता है कि वकील अब केवल अपने मुक्किल का पक्ष रखने वाला व्यक्ति नहीं रह गया है, बल्कि वह एक ‘विशेषज्ञ’ बन गया है, जिसकी एक छोटी-सी गलती भी पूरी न्याय व्यवस्था को साख बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। अपने पराक्रम के बल पर कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे।

आज के इस ‘ज्ञान युग’ में, कानूनों, तकनीक और विनियामक ढांचों में इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं कि वर्षों पहले अर्जित किया गया ज्ञान आज पूरी तरह अप्रासंगिक हो सकता है। इसके साथ ही, कानूनी क्षेत्र में तकनीकी पिछड़ापन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे दूर करना समय की मांग है। आज के आधुनिक हकीरर के लिए ई-कोर्ट्स, वर्चुअल विलरिंग, ऑनलाइन केस मैनेजमेंट और कानूनी डेटा विश्लेषण में दक्ष होना केवल कौशल का बोझ 5 करोड़ से भी अधिक हो चुका है। वकीलों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति ‘प्रोफेशनल वुल्ड डेवलपमेंट’ के अवसर सीमित हो गए हैं। ‘नेशनल लीगल एकेडमी’ का उद्देश्य केवल वकीलों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें निरंतर प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से ‘सक्षम वकीलों की फौज’ में बदलना है। यह एकेडमी नए वकीलों के लिए एक ‘मेंटरशिप हब’ के रूप में कार्य करेगी, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता अपने जवाबदारिक अनुभव साझा करेंगे। इस प्रयास से किताबी ज्ञान और अदालती हकीकत के बीच की खाई मिटेगी और

कड़ाई से लागू किया जाता है, जहां इन क्रेडिट्स को पूरा न करने पर वकील के अभ्यास करने के अधिकार को अस्थायी रूप से निलंबित तक किया जा सकता है।भारत में कानूनी पेशे का विस्तार तेजी से हुआ है, लेकिन गुणवत्ता उस अनुपात में नहीं बढ़ सकी है। आज देश में वकीलों की संख्या 20 लाख के आँकड़े को पार कर गई है और हर वर्ष हजारों युवा कानून की डिग्री लेकर इस क्षेत्र में आ रहे हैं। दूसरी ओर, भारतीय अदालतों में लंबित मामलों का बोझ 5 करोड़ से भी अधिक हो चुका है। वकीलों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति ‘प्रोफेशनल वुल्ड डेवलपमेंट’ के अवसर सीमित हो गए हैं। ‘नेशनल लीगल एकेडमी’ का उद्देश्य केवल वकीलों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें निरंतर प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से ‘सक्षम वकीलों की फौज’ में बदलना है। यह एकेडमी नए वकीलों के लिए एक ‘मेंटरशिप हब’ के रूप में कार्य करेगी, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता अपने जवाबदारिक अनुभव साझा करेंगे। इस प्रयास से किताबी ज्ञान और अदालती हकीकत के बीच की खाई मिटेगी और

इसके साथ ही, कानूनी क्षेत्र में तकनीकी पिछड़ापन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे दूर करना समय की मांग है। आज के आधुनिक वकील के लिए ई-कोर्ट्स, वर्चुअल हियरिंग, ऑनलाइन केस मैनेजमेंट और कानूनी डेटा विश्लेषण में दक्ष होना केवल कौशल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आवश्यकता है। इसके अलावा, अदालती शिष्टाचार, मुक्किल के प्रति जवाबदेही और अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर नैतिक प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस पेशे की गरिमा हमेशा बनी रहे। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में ‘मैन्डेटरी कंटीन्यूइंग लीगल एजुकेशन’ लागू है। वहां वकीलों के लिए अपने लाइसेंस को बनाए रखने हेतु हर साल निश्चित घंटों की कानूनी शिक्षा या सेमिनार में भाग लेना अनिवार्य होता है। इसी तरह, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में बार एसोसिएशन और सरकार के सहयोग से ‘निरंतर पेशेवर विकास’ कार्यक्रमों को कड़ाई से लागू किया जाता है, जहां इन क्रेडिट्स को पूरा न करने पर वकील के अभ्यास करने के अधिकार को अस्थायी रूप से निलंबित तक किया जा सकता है।भारत में कानूनी पेशे का विस्तार तेजी से हुआ है, लेकिन गुणवत्ता उस अनुपात में नहीं बढ़ सकी है।

मुकदमों के जल्द निस्तारण की दर में 15 से 20 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण वृद्धि संभव हो सकती है। बार काउंसिल को ऑफ इंडिया को कानूनी पेशे के मानकों को ऊँचा उठाने के लिए एक ‘सुपर-रेगुलेटर’ के रूप में अपनी भूमिका को संशुद्ध करना होगा। इसके कार्यान्वयन हेतु सबसे पहले वकीलों के लिए एक अनिवार्य क्रेडिट-आधारित प्रणाली लागू की जानी चाहिए, जिसके तहत हर वकील के लिए प्रतिवर्ष 20 से 30 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य हो। इस शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए एक हाइब्रिड लर्निंग मॉडल अपनाया आवश्यक है, जहां नेशनल लीगल एकेडमी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जोड़कर

दूरराज के क्षेत्रों के वकीलों तक पहुंचाया जा सके। एकेडमी की सफलता के लिए ‘सार्वजनिक-निजी भागीदारी’ का मॉडल सबसे प्रभावी होगा। इसमें शीर्ष लॉ फर्मों और अनुभवी वकीलों को ‘गैस्ट लेक्चरर’ के रूप में जोड़कर व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा सकता है। न्यायिक प्रणाली में ‘नेशनल लीगल एकेडमी’ की स्थापना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कानूनी पेशे को केवल ‘पढ़ाई’ तक सीमित न रखकर इसे एक ‘थिंक टैंक’ में बदल सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसे अधिकारों के हनन के बजाय ‘अधिकारों के विस्तार’ के रूप में देखना चाहिए।

का फूल-मालाओं से स्वागत कर आभाषण व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व मण्डल अध्यक्ष दीपू बजापेई, सुधाशु सिंह (जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक) राजेश कुमार रावत, प्रदीप सिंह, समेसी ग्राम प्रधान अशोक कुमार रावत, अभिषेक रावत सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों ने क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों की सरहना करते हुए परिस्थिति का कार्यो के सहजता करते हुए परिस्थिति में भी इसी प्रकार जनहित के कार्य निरंतर जारी रहने की अपेक्षा व्यक्त की। समारोह का वातावरण उत्साहपूर्ण रहा और ग्रामीणों ने विकास कार्य के लिए विधायक का धन्यवाद ज्ञापित किया।

होर्मुज में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका का ईरान पर बड़ा सैन्य प्रहार

140 ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले; बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान और यूएई पर मिसाइल-ड्रोन हमले, क्षेत्र में तनाव चरम पर

एजेंसी। होर्मुज जलडमरूमध्य में एक कटेनर जहाज पर हुए हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। अमेरिका ने रविवार तड़के ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने बताया कि उसके हमलों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग स्थल, गोला-बारूद भंडार, संचार केंद्र और अन्य सैन्य प्रतिष्ठान नष्ट किए गए। सेंटकॉम के अनुसार, इस कार्रवाई का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों और असेन्य नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा ईरान की हमले की क्षमता को कमजोर करना था। इससे पहले ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में एक कटेनर जहाज पर हमला किया था, जिससे



उसमें आग लग गई और चालक दल को जहाज छोड़कर सुरक्षित निकलना पड़ा। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच पहले से जारी तनाव और अधिक बढ़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध को लेकर बना अंतरिम समझौता अब समाप्त हो चुका है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर कहा कि 'ईरान ने गलत विकल्प चुना है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी।' दूसरी ओर, ईरान की संसद के

अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलीबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि एकतरफा समझौतों का दौर समाप्त हो चुका है और अब अमेरिका को अपने कदमों का परिणाम भुगतना होगा। अमेरिका ने पिछले एक सप्ताह में ईरान के खिलाफ तीन चरणों में हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि ये कार्रवाई होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के लगातार हमलों के जवाब में की गई है। ईरान की जवाबी

कार्रवाई के दौरान कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान और यूएई में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। कतर की सेना ने दावा किया कि उसने अधिकांश मिसाइल और ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। कतर के गृह मंत्रालय के अनुसार, हमलों को नाकाम करने के दौरान गिरे मलबे की चोपट में आने से एक बच्चे समेत तीन लोग घायल हो गए। कुवैत की सेना ने भी कई हमलों को विफल करने का दावा किया है। वहीं बहरीन में अमेरिकी को नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय के कारण तीसरी बार मिसाइल हमले की चेतावनी जारी करनी पड़ी। ओमान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भी ड्रोन हमलों की सूचना मिली है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात के कई इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसका नियंत्रण होना चाहिए और वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने का उसे अधिकार है। यही मुद्दा अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी संभावित वार्ता में सबसे बड़ी बाधा बनता जा रहा है।

21 जुलाई की रैली पर बंगाल में सियासी संग्राम, भाजपा ने टीएमसी पर बोला हमला

आसनसोल(एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में 21 जुलाई को होने वाले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 'शहीद दिवस' कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता एवं राज्य की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने रविवार को टीएमसी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही, बल्कि 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' बन गई है। उन्होंने टीएमसी को एस्प्लेनेड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली कर अपनी वास्तविक ताकत दिखाने की चुनौती दी। आसनसोल में मीडिया से बातचीत के दौरान अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि 21 जुलाई के कार्यक्रम से भाजपा को कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता को यह जानने का अधिकार है कि 21 जुलाई 1993 को वास्तव में क्या हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस घटना की जांच के लिए आयोग गठित करने और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का वादा किया था, लेकिन आज तक रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई। भाजपा नेता ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री वास्तव में 1993 के शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहती है तो सबसे पहले जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करें।



भाजपा नेता ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री वास्तव में 1993 के शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहती है तो सबसे पहले जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि एस्प्लेनेड जैसे व्यस्त इलाके में रैली आयोजित करने से आम जनता को उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का वादा किया था, लेकिन आज तक रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई। भाजपा नेता ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री वास्तव में 1993 के शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहती है तो सबसे पहले जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करें।

सलाह दे चुके हैं। टीएमसी ने इस वर्ष भी अपनी पारंपरिक 'शहीद दिवस' रैली कोलकाता के एस्प्लेनेड में आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, कोलकाता पुलिस ने यातायात व्यवस्था प्रभावित होने का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पार्टी ने अनुमति के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। वहीं, ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के बागी गुट को एस्प्लेनेड स्थित गांधी प्रतिमा के निकट अलग 'शहीद दिवस' कार्यक्रम आयोजित करने की पुलिस से अनुमति मिल चुकी है। तृणमूल कांग्रेस प्रत्येक वर्ष 21 जुलाई को 'शहीद दिवस' मनाती है। यह आयोजन वर्ष 1993 में हुई पुलिस फायरिंग की घटना की स्मृति में किया जाता है, जिसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व में निकाली गई युवा कांग्रेस की रैली के दौरान 13 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। वर्षों से कोलकाता के एस्प्लेनेड स्थित विक्टोरिया हाउस के सामने आयोजित होने वाली यह रैली टीएमसी के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में मानी जाती है, जिसमें राज्यभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होते हैं।

प्रियंका-दीपिका के बाद दिशा पत्नी की हॉलीवुड में एंट्री, इस सुपरनैचरल थ्रिलर से करेंगी डेब्यू

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी अदाकारी का जलवा बिखरने के बाद जल्द ही हॉलीवुड में तहलका मचाने जा रही हैं। हाल ही एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान दिशा ने हॉलीवुड में डेब्यू को लेकर खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से उनके हाथ ये विदेशी मूवी आई है। भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बना चुकी अभिनेत्री दिशा पाटनी अब हॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अली फजल और अनुपम खेर के बाद वह भी हॉलीवुड में अपनी टैलेंट का प्रदर्शन करेंगी। दिशा की पहली हॉलीवुड फिल्म सुपरनैचुरल थ्रिलर 'हॉलीगाईस सागा: द पोर्टल ऑफ फोर्स' होगी, जिसका निर्देशन ऑस्कर पुरस्कार विजेता केविन रेसेसी कर रहे हैं। इस परियोजना के माध्यम से दिशा वैश्विक दर्शकों के बीच अपनी नई पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। हालिए एक इंटरव्यू में दिशा ने अपने हॉलीवुड सफर को लेकर बात की है। उन्होंने कहा- यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ तक पहुंच पाते हैं। पश्चिमी देशों का सिनेमा ऑडिशन पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। वहां काम पाने के लिए आपको



ऑडिशन देना पड़ता है। इसमें किस्मत भी बड़ी भूमिका निभाती है कि कभी-कभी, वे (हॉलीवुड फिल्ममेकर) बस आपका पिछला काम देखते हैं और आपको प्रोजेक्ट या ऑडिशन का प्रस्ताव देते हैं। वैसे वहां बनाने के लिए तैयार हैं। हालिए एक इंटरव्यू में दिशा ने अपने हॉलीवुड सफर को लेकर बात की है। उन्होंने कहा- यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ तक पहुंच पाते हैं। पश्चिमी देशों का सिनेमा ऑडिशन पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। वहां काम पाने के लिए आपको

ऑडिशन दे सकते हैं, लेकिन वहां जाकर थोड़ा रुकना और उस पर काम करना सबसे अच्छा है। हालिए रिलीज अक्षय कुमार स्टार कॉमेडी फिल्म वेलकम टू जंगल में दिशा पाटनी नजर आई हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। दिशा की अपकमिंग मूवी हॉलीवुड फिल्म हॉलीगाईस सागा: द पोर्टल ऑफ फोर्स, वह आवारापन रहती है। आखिर में वो वह एक अलग देश होता है, आपको मौके पर उपस्थित रहना होगा। यहां पर बैकटर, वहां अच्छे रोल नहीं पा सकते हैं। यहां से आप सिर्फ ऑनलाइन

यथार्थवादी फिल्मों में कलात्मक अभिव्यक्ति का सिकुड़ता दायरा

इन दिनों फिल्म 'सतलुज' का विवाद डिजिटल स्वतंत्रता के भ्रम पर उभरी उठा रहा है। मूल रूप से 'पंजाब '95' नाम से निर्मित और हनी त्रेहान द्वारा निर्देशित यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन और पंजाब के बेहद संवेदनशील दौर पर आधारित है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर ने इस फिल्म को लेकर कड़ा रुख अपनाया और निर्माताओं को लगभग 127 कट लगाने का निर्देश दिया। लंबे कानूनी और प्रशासनिक संघर्ष के बाद, फिल्म को 'सतलुज' नाम से एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज तो किया गया, लेकिन सुरक्षा कारणों और राष्ट्रीय संप्रभुता का हवाला देकर इसे डिजिटल स्पेस से भी हटा दिया गया।



यह घटनाक्रम इस धारणा को तोड़ता है, कि ओटीटी प्लेटफॉर्म गंभीर और यथार्थवादी सिनेमा के लिए स्वतंत्र खिड़की साबित होंगे। डिजिटल माध्यमों को अधिक उदार और सेंसरशिप से मुक्त माना जाता था, लेकिन आईटी नियमों में हाल के संशोधनों ने सरकारों को असंमित शक्ति दे दी कि वह 'सार्वजनिक व्यवस्था' या 'शांति भंग' की आशंका के आधार पर किसी भी डिजिटल सामग्री को प्रतिबंधित कर सके। ऐसी स्थिति में फिल्म निर्माता वित्तीय और कानूनी जोखिमों से बचने को

अपनी रचनात्मकता को सीमित करने लगते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई प्रसंग हैं, जहां सेंसर बोर्ड से 'हरी झंडी' मिलने के बावजूद फिल्मों को थियेटर तक पहुंचने से रोका गया। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि सेंसरशिप केवल संस्थागत प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दबावों से संचालित होती है। वर्ष 1993 के मुंबई उदार और सेंसरशिप से मुक्त माना जाता था, लेकिन आईटी नियमों में हाल के संशोधनों ने सरकारों को असंमित शक्ति दे दी कि वह 'सार्वजनिक व्यवस्था' या 'शांति भंग' की आशंका के आधार पर किसी भी डिजिटल सामग्री को प्रतिबंधित कर सके। ऐसी स्थिति में फिल्म निर्माता वित्तीय और कानूनी जोखिमों से बचने को

'आरक्षण' को जातिगत तनाव की आशंका के चलते कुछ राज्यों में प्रतिबंधित किया गया, जबकि 'इंदु सरकार' को 1975 के आपातकाल की पुष्टि के कारण भारी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। संजय लीला भंसाली की 'पद्मावत' का विवाद राज्य सरकारों की लाचारी या राजनीतिक अवसरवाद का उग्र उदाहरण रहा है। सेंसर बोर्ड के कहने पर नाम बदलने और संशोधनों के बाद इसे 'यू/ए' सर्टिफिकेट दिया, इसके बावजूद हिंसक विरोध के आगे झुकते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंततः सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर स्पष्ट करना पड़ा कि एक बार वैधानिक संस्था फिल्म को पास कर देती है, तो कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है।

बीते दशकों की तुलना में अब सेंसरशिप का स्वरूप बदल चुका है। पहले जहां सेंसरशिप केवल 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' (सेंसर) की कैची तक सीमित थी, वहीं अब अधिक खतरनाक 'समानांतर सेंसरशिप' का उदय हो गया।

यह समानांतर व्यवस्था राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों, वैचारिक समूहों और सोशल मीडिया की ट्रेल आर्मी के गठजोड़ से संचालित होती है।

एक पेड़ माँ के नाम 3.0' के अंतर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में 36,92,500 पौधों का सफल वृक्षारोपण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
अम्बेडकरनगर। आज दिन रविवार को वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 'एक पेड़ माँ के नाम 3.0' अभियान के अंतर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में जिला वृक्षारोपण समिति एवं प्रभागीय वनाधिकारी/सचिव, जिला वृक्षारोपण समिति के तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। जनपद अम्बेडकरनगर को वर्ष 2026 हेतु आवंटित 36,92,500 पौधों के वृक्षारोपण लक्ष्य के अंतर्गत आज व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 कार्यक्रम का शुभारम्भ वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 की समीक्षा हेतु जनपद अम्बेडकरनगर के लिए नामित नोडल अधिकारी प्रांजल यादव, सचिव, सूक्ष्म,



लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कि.मी. 161 स्थित उमरपुर ग्राम सभा की भूमि पर 'एक पेड़ माँ के नाम' थीम के अंतर्गत पौधरोपण करके किया गया। इसी क्रम में जनपद के

लिए नामित नोडल मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, डॉ. संजय कुमार निषाद द्वारा अकबरपुर रेंज के ग्राम सभा लोहझरा, विकास खण्ड भीठी, जनपद अम्बेडकरनगर में हरिशंकरी का

पांच लाख रुपये और पल्सर बाइक की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
ललितपुर। दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना तथा मायके पहुंचकर जबरन तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कराने का मामला सामने आया है। पौडिता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पति, सास-ससुर, जेट सहित पांच लोगों के खिलाफ बीएनएस एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली नगर के ग्राम कुआतला निवासी रामदास नरवरिया की पुत्री नीलम का विवाह 26 जून 2023 को थाना बानपुर क्षेत्र के ग्राम दैलवारा निवासी गजेंद्र पुत्र केरन सिंह के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह में पौडिता के परिवर्जनों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज भी दिया था, लेकिन आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति गजेन्द्र, ससुर केरन सिंह, सास रेखा, जेट सीताराम तथा रिश्तेदार थाना बार के ग्राम मरोली निवासी मंगल ने अतिरिक्त

दहेज के रूप में 5 लाख रुपये नकद और एक पल्सर मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसके साथ मारपीट की जाती थी, पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता था तथा कई बार कमरे में बंद कर रखा गया। परिवार की इज्जत और वैवाहिक जीवन बचाने की उम्मीद में वह लंबे समय तक अत्याचार सहती रही, लेकिन आरोपियों का व्यवहार नहीं बदला। 11 अप्रैल 2026 को सभी आरोपियों ने मिलकर नीलम के साथ मारपीट की, उसके सोने-चांदी के जेवर छीन लिए और उसे घर से निकाल दिया। जाते समय आरोपियों ने चेतावनी दी कि जब तक वह 5 लाख रुपये और पल्सर बाइक लेकर नहीं आएगी, तब तक उसे घर में प्रवेश नहीं मिलेगा और वापस आने पर जान से मार दिया जाएगा। ससुराल से निकाले जाने के बाद नीलम अपने मायके ग्राम कुआतला में रहने लगी। आरोप है कि 8 जुलाई 2026 को शाम करीब चार बजे पति, सास-ससुर, जेट और मंगल चार

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुआतला निवासी रामदास नरवरिया की पुत्री नीलम का विवाह 26 जून 2023 को थाना बानपुर क्षेत्र के ग्राम दैलवारा निवासी गजेंद्र पुत्र केरन सिंह के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से हुआ था।

पहिया वाहन से उसके मायके पहुंचे। वहां आरोपियों ने विवाहिता पर जबरन तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। शोर सुनकर गांव के महेन्द्र और सोनू ठाकुर मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। आरोप है कि जाते समय आरोपी दोबारा धमकी देकर गए कि यदि वह बिना दहेज के वापस आई तो उसकी हत्या कर देंगे और पति की दूसरी शादी कर देंगे। तद्विरोध पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115(2), 352, 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।

कृषि विवि में वृक्षारोपण महायज्ञ बना मिसाल, कृषि मंत्री ने भी रोपे पौधे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
कुमारगंज [अयोध्या]। हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को नई ऊंचाई देते हुए आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज ने वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के तहत एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। विश्वविद्यालय ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक पौधरोपण किया। इस वृहद अभियान का शुभारंभ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने पौधरोपण कर किया। इस दौरान पूरे विश्वविद्यालय परिसर के साथ-साथ सभी संविधान महाविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में पौधरोपण अभियान चलाया गया। शिक्षकों, वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं व एनसीसी के कैडेटों ने उत्साहपूर्वक इमली,



जामुन, सागौन, आम, बेर, अमरूद, अमलतास, गुलमोहर, प्लास, कैथा, कटहल, पाकड़, पीपल जैसे छायादार फलदार एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों के रोपे लगाए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण को जनभागीदारी का महाअभियान बना रही है। उन्होंने कहा कि एनसीसी के कैडेटों ने उत्साहपूर्वक इमली,

उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित वातावरण मिल सकेगा। बच्चे फल खाएंगे तो कुपोषण से दूर रहेंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे अन्य संस्थानों के लिए प्रेरणादायी बताया। कुलपति डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विवि मुख्य परिसर के लिए वृक्षारोपण का वृहद रोडमैप तैयार

कराया जा रहा है जो जुलाई माह के अंत तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी समान महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी महाविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों एवं शोध केंद्रों पर भी वृहद स्तर पर पौधरोपण किया गया। वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम वानिकी अधिष्ठाता डा. भगवानदीन, कृषि अधिष्ठाता डा. प्रतिभा सिंह, डीएसडब्ल्यू डा. डी. नियोगी व विभागाध्यक्ष डा. एस.के. वर्मा के संयोजन में चलाया गया। इस मौके पर विधायक रामचंद्र यादव, विधायक चंद्रभानु पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, प्रखर गुप्ता प्रभागीय वनाधिकारी अयोध्या, प्रमोद कुमार वनाधिकारी कुमारगंज मौजूद रहे।

